



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी		
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर		
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर 381/2020		GCMS No. 2020/00517
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.10.2020	राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली दिनांक 10/11/2020 को वास्ते सुनवाई/उचित आदेशार्थ पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	
<u>10/11/2020</u>	पत्रावली पेश हुई आज श्रमदान उपखण्ड अधिकारी राजस्थान अवकाश से बाहर पधार हैं। अत्र पत्रावली दिनांक 10/11/2020 को पेश हो	
<u>21/11/2020</u>	पत्रावली पेश हुई आज श्रमदान उपखण्ड अधिकारी राजस्थान अवकाश से बाहर पधार हैं। अत्र पत्रावली दिनांक 26/11/2020 को पेश हो	
<u>26/11/2020</u>	पत्रावली पेश हुई आज श्रमदान उपखण्ड अधिकारी राजस्थान अवकाश से बाहर पधार हैं। अत्र पत्रावली दिनांक 29/11/2020 को पेश हो	
<u>29/11/2020</u>	पत्रावली पेश हुई अवसौकर किया गया जमाने की मजल अनुकार श्रेयकित खातेपत्र	

आ.क्र. 381/2020 PEMS. 2020/00517

आ.क्र. - आ.क्र. 131, 132 L.R.A.4

की सहमति नहीं होने से प्राप्ति पर
काबिल खारिज योग्य हो ऊपर सहमति के
अभाव में प्राप्ति पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली के तहत शुभारंभ होकर नष्ट हो चुका
है। काबिल प्रस्ताव के।


उपर्युक्त अधिकारी
नरसिंह सिन्हा (नाम)